कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

- कृषि में 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत छात्राओं को राशि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष देय।
- कृषि स्नातक एवं कृषि स्नात्कोत्तर शिक्षा हेतु राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देय।
- कृषि विषय में पी.एच.डी. हेतु राशि 15,000 रुपये प्रतिवर्ष देय।

प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रता –

- राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रा।
- राजस्थान की मूल निवासी हो।
- गत वर्ष में अनुत्तीर्ण नहीं हो।
- श्रेणी सुधार तथा सत्र के मध्य विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

आवेदन का तरीका –

आवेदक को ई–मित्र केन्द्र पर या स्वयं की एस एस ओ आईडी से राज किसान पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् को ऑन लाईन आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाइन ही प्राप्त कर सकेगा।

आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज –

- राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र।
- गत वर्ष में उत्तीर्ण की अंक तालिका।
- नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण–पत्र।
- श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं होने का प्रमाण–पत्र।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।

कृषि विभाग राजस्थान DOA

कृषि सूचना, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.agriculture.rajasthan.gov.in

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में प्रकाशित

Design : R.Massey